

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक— भ0मु0अभि0गु0अनु0—308 / 2026.....

पटना / दिनांक—

आदेश

विभाग अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत विवरण Standard Bidding Document (SBD) में उल्लेखित है। SBD के Clause-33 में वर्णित प्रावधान के अनुसार संवेदक को निर्माण कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु योग्य एवं सक्षम अभियंताओं को नियुक्त कर कार्य स्थल पर रखना अनिवार्य है। Clause-33 के अनुसार परियोजना के Enginner-in-Charge एवं अन्य सक्षम अभियंता, योजना के निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु संवेदक या उनके प्रतिनिधि या उनके द्वारा नियुक्त अभियंताओं को निर्देश दे सकेंगे, जिन्हें साईट ऑर्डर बुक में दर्ज किया जाएगा।

प्रायः यह पाया जा रहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन स्थल पर साईट ऑर्डर बुक का विधिवत् संधारण नहीं किया जा रहा है। जहाँ कहीं यह संधारित भी है तो इसमें स्थल निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों को अंकित नहीं किया जा रहा है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेशित किया जाता है कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन स्थल पर साईट ऑर्डर बुक का संधारण करना सुनिश्चित किया जाए। Enginner-in-Charge, मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) की जाँच दल एवं अन्य कनीय तथा वरीय अभियंता जब भी योजनाओं का निरीक्षण करें तो अपना मंतव्य निश्चित रूप से साईट ऑर्डर बुक में अंकित करेंगे। साथ ही साईट का जाँच प्रतिवेदन तथा संवेदक के अभियंताओं के साथ कार्यस्थल पर लिया गया छायाचित्र PIMS पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त निदेश का कठोरता से अनुपालन किया जाय।

ह0 / -

(प्रणव कुमार)
सचिव

ज्ञापांक— भ0मु0अभि0गु0अनु0—308 / 2026

पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता एवं सभी सहायक अभियंता (असैनिक एवं विद्युत) भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

(प्रणव कुमार)

ज्ञापांक— भ0मु0अभि0गु0अनु0—308 / 2026

१००५ (अ)

पटना, दिनांक— 22/9/26

प्रतिलिपि:— आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(प्रणव कुमार)

25/9/26